महत्वपूर्ण/आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क0एफ.5(38)पंरा/विधि/स्थाईसमिति/2011/343 जयपुर, दि0 28-3-2013

..... आज्ञा .....

राज्य की पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित विभागों/विषयों के क्रियान्वयन बाबत राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित कियाकलाप) नियम, 2011 के द्वारा यह प्रावधित है कि *"अंतरित कियाकलाप, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उसकी स्थायी समितियों के माध्यम से निष्पादित किये जायेंगे"* राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि अधिकांश संस्थाओं की स्थायी समितियों की बैठकों में जिस विषय/विभाग के क्रियाकलापों पर चर्चा की जाती है अकसर उस विषय/विभाग के संबंधित अधिकारी को इन बैठकों में न तो आमंत्रित किया जाता है ना ही उस अधिकारी से विषय बाबत नियमों, प्रकिया आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है, जिसके अभाव में अकसर स्थायी समिति द्वारा लिये गए निर्णयों की कियांविति से असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है।

अतः राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 12(3) के प्रावधानः– **"सम्बन्धित विभाग या पंचायती राज विभाग अन्तरित क्रियाकलापों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विभागीय नीति/सरकार के तकनीकी और समसामयिक विनिश्चयों के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्वान्त/निदेश जारी कर सकता है और पंचायती राज संस्थायें ऐसे मार्गदर्शक सिद्वान्तों/निदेशों का पालन करेगें। यदि इस प्रकार जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्वान्तों/निदेशों का पालन नहीं किया जाता है तो पंचायती राज विभाग पंचायती राज संस्था/ पदाधिकारी/सम्बन्धित पदधारी के विरूद्व कार्रवाई प्रारम्भ कर सकेगा।"** का प्रयोग करते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि पंचायती राज संस्थाओं की स्थायी समिति की प्रत्येक बैठक में जिस विषय/विभाग के क्रियाकलाप पर चर्चा की जानी हो, तो उस बैठक में पंचायती राज संस्था की अधिकारिता में उस विषय/विभाग के पदस्थापित अधिकारी को अनिवार्य रुप से बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जावे। पंचायती राज संस्था के सचिव अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी/विकास अधिकारी/ग्राम सचिव का यह दायित्व होगा कि वो संबंधित विषय/विभाग के अधिकारियों को समय पर बैठक सूचना एवं एजेण्डा प्रेषित कर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करवायेंगे एवं अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित करायेंगे ।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि स्थायी समिति की बैठक में उपस्थित होने वाले संबंधित विषय/विभाग के अधिकारियों द्वारा बैठक में चर्चा किये जाने वाले विषय की पूर्ण जानकारी एवं पारित होने वाले निर्णयों बाबत, नियमों एवं प्रकिया की पूर्ण जानकारी, समिति को प्रस्तुत की जावेगी और यदि समिति द्वारा कोई ऐसा निर्णय पारित किया जाता है, जोकि संबंधित विषय/विभाग के नियमों/प्रकिया/नीति आदि के विपरीत है तो समिति सचिव द्वारा कार्यवाही विवरण में यह तथ्य अंकित किया जाकर, पंचायती राज संस्था की साधारण सभा की आगामी बैठक में स्थायी समिति के इस कार्यवाही विवरण को रखा जाकर, उस विवादित विनिश्चय पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 59 के प्रावधानों के अनुसार समुचित निर्णय करवाया जावेगा ।

(सी0एस0 राजन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

(15)

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, महिला अधिकारिता
जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः एफ 1(1)(48)स्था/निमअ/2010/ 35784-850 जयपुर, दिनांक 9/4/13

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

कार्यक्रम अधिकारी,
महिला अधिकारिता
समस्त।

विषयः– पंचायत राज संस्थाओं को हस्तांतरित विभागों/विषयों के कार्य क्रियान्वयन स्थायी समिति के माध्यम से निष्पादित किए जाने के संबंध में।
संदर्भः– अति0 मुख्य सचिव, ग्रा.वि.एवं पं.रा. विभाग की आज्ञा दिनांक 28.03.2013 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आज्ञा की प्रति पृष्ठांकित कर आपको प्रेषित है।

राज्य की पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित विभागों/विषयों के कियान्वयन बाबत राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित कियाकलाप) नियम, 2011 के द्वारा यह प्रावधित है कि **"अन्तरित कियाकलाप, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उसकी स्थायी समितियों के माध्यम से निष्पादित किये जायेगे"** इस बाबत उक्त दिनांक 28.03.2013 को जारी आज्ञा में दिए गए निर्देशों के अनुसार उनकी पालना आपके स्तर से करना सुनिश्चित करे।

(डॉ0 सरिता सिंह)
आयुक्त एवं शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 1(1)(48)स्था/निमअ/2010/ 35851-59 जयपुर, दिनांक 9/4/13

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. उप शासन सचिव, (विधि) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), जयपुर।
2. निदेशक, आईसीडीएस, महिला एवं बाल विकास विभाग, गॉधीनगर, राज0 जयपुर।
3. अति0 निदेशक, महिला अधिकारिता, राज0 जयपुर।
4. परियोजना समन्वयक, जैण्डर प्रकोष्ठ, महिला अधिकारिता, जयपुर।
5. अति0 निदेशक, महिला स्वयं सहायता समूह संस्थान, (एसएचजी), मअ जयपुर।
6. कार्यक्रम निदेशक, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
7. उपनिदेशक, विशेष महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ, महिला अधिकारिता, जयपुर।
8. उपनिदेशक, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
9. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता को नेट पर अपलोड करने हेतु।

(वीरेन्द्र मेहता)
मुख्य लेखाधिकारी
महिला अधिकारिता